न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2024
जीसीएमएस संख्या–2024/6

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

1.अमराराम पुत्र लाबुराम
2. कानाराम पुत्र लाबुराम
3.बाबूलाल पुत्र लाबुराम
जति जाट निवासीगण जाखड़ों की ढाणी ग्राम कोसाना तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर

1.चन्द्राराम पुत्र मलाराम
2. बक्षाराम पुत्र मलाराम फोत के कायम मुकाम
2/1. समुदेवी पत्नि बक्षाराम
2/2. श्रवणराम पुत्र बक्षाराम
2/3. रामस्वरूप पुत्र बक्षाराम
3. मंगलाराम पुत्र मलाराम
4. सोहनराम पुत्र मलाराम
5. हरिराम पुत्र मलाराम
6. अनाराम पुत्र किशनाराम फोत के कायम मुकाम
6/1 पुखराज पुत्र अनाराम
6/2 मांगीदेवी पुत्री अनाराम जाति जाट निवासी जालीवाड़ाखुर्द।
6/3 पपादेवी पुत्री अनाराम जाति जाट निवासी जलवाणियों का बास,मालावास।
7. गेनाराम पुत्र मुल्तानराम
8. प्रकाश पुत्र मुल्तानराम
9. बाबूलाल पुत्र मुल्तानराम
10. भंवरलाल पुत्र हिन्दुराम
11. रमजीराम पुत्र पूनाराम
12. रामकुमार पुत्र मुल्तानराम
13. रामकिशोर पुत्र हिन्दूराम
14.रामनिवास पुत्र हिन्दूराम
15.कानाराम पुत्र मादाराम
16.बलदेवराम पुत्र मादाराम
17.मांगीलाल पुत्र माधाराम
जति जाट निवासीगण जाखड़ों की ढाणी ग्राम कोसाना तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।
18. शाखा प्रबन्धक, युको बैंक शाखा खांगटा तहसील पीपाड़शहर
19. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कोसाना तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर
20.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़शहर तहसील कार्यालय पीपाडशहर तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता दर्ज दिनांक 03/01/2024

1. श्री पृथ्वीराज चौहान प्रार्थीगण ओर से
2. श्री बख्तावर सिंह जाखड़ अप्रार्थी 1, 2/2, 3, 4, 5 की ओर से

निर्णय दिनांकः– 27/04/2026

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विरण इस प्रकार है कि ग्राम कोसाणा पटवार क्षेत्र कोसाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 787 क्षेत्रफल 1.0922 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि स्थित है जो की वादग्रस्त है सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश की। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण सावणु फसल की बुवाई करते आये है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

मुटाम कायम करवाकर दीवार/तारबंदी करवाना चाहते है जिस बाबत् प्रार्थीगण ने विधिवत् रूप से तहसील कार्यालय पीपाड शहर के यहां आवेदन कर वादग्रस्त आराजी का माप चौप कर सीमांकन करवा लिया है लेकिन प्रार्थीगण के खेत के तीन तरफ स्थित खेत खसरा नबंर 787/1, 788/1, 788, 786 के काश्तकार अप्रार्थीगण तहसील कार्यालय द्वारा किये गये माप चौप को नही मान रहे है तथा प्रार्थीगण के खेत की भूमि को अपनी भूमि बतातें है तथा खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इसलिए वादग्रस्त आराजी के मौके पर सीमांकन को लेकर भारी विवाद है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो। पार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय हाजा ग्राम कोसाणा पटवार क्षेत्र कोसाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 787 क्षेत्रफल 1.0922 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने का तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमाने एंव मौके पर अप्रार्थीगण को पत्थरगढी/मुण्डागढी करवायें जाने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद किया जाने व जरूरत पड़ने पर पुलिस इमदाद के जरिये पत्थरगढी/मुण्डागढ़ी किये जाने के सादर आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2/1,2/3, 6/1 से 6/3, 07 से 19 की ओर से स्वंय/प्रतिनिधि द्वारा जवाब पेश नही किये जाने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 2/2, 3, 4, 5 की ओर अधिवक्ता बक्तावरसिह जाखड़ ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके अनुसार यह है कि राजस्व ग्राम कोसाणा मे प्रार्थीगण की खसरा संख्या 787 भूमि आई हुई है जिसके चिपते दक्षिणी तरफ खसरा संख्या 787/1, अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की खातेदारी कब्जासुद जमीन है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के जमीन के बीच पुरानी माठ थी जिस पर अप्रार्थी संख्या 05 ने पक्की दीवार निकालकर चार दीवारी करवा दी व फाटक लगा दी, उक्त दीवार काफी वर्ष पूर्ण निकाली गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 अपनी खातेदारी जमीन खसरा संख्या 787/1 पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। दोनो के मध्य पूर्वजो के समय से ही माठ कायम थी जिस पर अप्रार्थी संख्या 05 ने पक्की दीवार निकाली। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन है, खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 20 तहसीलदार पीपाड़ शहर न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम कोसाणा के खसरा संख्या 787 का प्रार्थीगण द्वारा मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवाने पर सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 787 भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2/2, 3, 4, 5 ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवाने पर राजस्व ग्राम ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 787 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 27/04/2026 को सुनाया गया।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर